19/16 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर A3

अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2016 अनवानी श्री सुखदेव सिंह टेलीफोन एक्सचेंज, मण्डी डबवाली, तहसील डबवाली जिला सिरसा बनाम तहसीलदार, सूरतगढ़

23.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखदेव सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सूरतगढके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। तहसीलदार, सूरतगढ का डाक से प्राप्त प्रतिवेदन सं0 824 दिनांक 11.02.2016 शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी सुखदेव सिंह का कथन है कि उसके द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ से अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2015 के द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई है और न ही कोई सूचना दी। इसलिए उनसे चाही गई सूचना दिलवाई जावे और उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र 15.12.2015 से निम्न सूचना तहसीलदार, सूरतगढ से चाही थीः—

1. यह कि चन्द सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी गांव जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ को ग्राम बड़ोपल तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में खेवट नम्बर 93 दिनांक 22.06.1969 को 35 बीघा भूमि अलाटमेंट हुई थी जिसका आर्डर नम्बर
2. खसरा मिलान क्षेत्रफल
3. नामान्तरण पंजिका ग्राम बड़ोपल
4. जमाबन्दी/खेवट खतौनी 1969 के बाद
5. इसका इन्तकाल
6. खाता नम्बर
7. रसीदे पैसे भरने की
8. कितने पैसे भरे है और कितने बकाया है सभी की प्रमाणित फोटो कॉपी दी जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के सन्दर्भ में तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा प्रतिवेदन सं0 824 दिनांक 11.02.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने ग्राम बडोपल से संबंधित सूचना चाही थी जो कि उक्त ग्राम तहसील पीलीबंगा के क्षेत्राधिकार में है जो उनके कार्यालय के पत्रांक 3876 दिनांक 28.12.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार पीलीबंगा को जरिये रजिस्टर्ड डाक क्रमांक आर.एल.ए.आर.आर.787188120आई.एन. दिनांक 28.12.2015 से भिजवा दिया गया है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर का होने से अपील खारिज की जावे।

कलैक्टर
गंगानगर

P T O

19/16 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3/2

चूंकि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में चाही गई सूचना का संबंध जिला हनुमानगढ की तहसील पीलीबंगा के लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार पीलीबंगा से होने के कारण उसका आवेदन पत्र तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा दिनांक 28.12.2015 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा तहसीलदार पीलीबंगा को भेजा जा चुका है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को तहसीलदार पीलीबंगा के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है।

इसलिए अपीलार्थी तहसीलदार, पीलीबंगा के विरूद्ध जिला कलक्टर, हनुमानगढ के समक्ष उक्त सूचनाओ के संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। अतः अपीलार्थी की अपील पर यहां से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर